unicef
for every child

प्रदेश में कोविड महामारी से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा एवं देखभाल

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जून, 2021

आम नागरिक के कर्त्तव्य

01 यदि हमें किसी ऐसे बच्चे के बारे में पता लगता है, जिसके माता-पिता का कोरोना की वजह से देहांत हो गया है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए?

ऐसे बच्चों के संबंध में टोल फ्री नम्बर 1098 पर चाइल्डलाइन या 181 पर महिला हेल्पलाइन पर सूचना दें अथवा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को 011–23478250 पर संपर्क करें। उक्त नम्बरों से संपर्क न होने पर आप नज़दीकी पुलिस थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, ग्राम प्रधान, तहसील, ब्लॉक, पार्षद, जिला बाल संरक्षण ईकाई, जिला प्रोबेशन अधिकारी, बाल कल्याण समिति तथा जिलाधिकारी कार्यालय को भी संपर्क कर सकते हैं।

02 ऐसे बच्चों के संबंध में सूचना चाइल्डलाइन 1098 या महिला हेल्पलाइन 181 या जिला बाल संरक्षण ईकाई या नज़दीकी पुलिस थाने या संबंधित ग्राम प्रधान या पार्षद या जिला प्रोबेशन अधिकारी आदि को देना क्यों ज़रूरी है?

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (14) के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनके माता–पिता नहीं हैं तथा उनकी देखरेख एवं संरक्षण करने वाला कोई नहीं है, को ''देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता'' वाला बच्चा माना गया है, ऐसे बच्चों को 24 घण्टे के भीतर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

03 चाइल्डलाइन के पहुंचने तक बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए?

जब तक चाइल्डलाइन टीम बच्चे तक पहुंचे, तब तक कोई भी बाल संरक्षण हितधारक या लोक भावना से परिपूर्ण व्यक्ति बच्चे को अपने संरक्षण में रख सकता है, यदि परिस्थिति अनुकूल नहीं है, तो बच्चे को चाइल्डलाइन टीम के पहुंचने तक किसी विश्वासपात्र, पड़ोसी/पुलिस थाने में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/स्वयंसेवी संस्था/ग्राम प्रधान/पार्षद के संरक्षण में रखा जा सकता है। यदि संभव हो तो नज़दीकी बालगृह तक पहुंचाया जा सकता है।

कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को आपातकालीन सहायता देने हेतु भारत सरकार द्वारा 181 महिला हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। कोविड प्रभावित बच्चों की सूचनाएं भी 181 महिला हेल्पलाइन में दी जा सकती है।

मुसीबत में फंसे बच्चों की सहायता हेतु 24 घण्टे संचालित होने वाली एक राष्ट्रीय आपातकालीन निःशुल्क टेलीफोन सेवा है। बच्चा स्वयं या कोई भी व्यक्ति 1098 पर कॉल करके बच्चे के लिए सहायता प्राप्त कर सकता है।

जानकारी मिलने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन/ महिला हेल्पलाइन द्वारा की जाने वाली कार्यवाई

1098 या **181** की टीम स्वयं या अपने सहयोगियों जैसे पुलिस या जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से 1 घण्टे (यात्रा के समय को छोड़कर) के भीतर बच्चे तक भौतिक रूप में पहुंचेगी और 24 घण्टे के भीतर उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी जिससे बच्चे की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने तथा पुर्नवास हेतु आवश्यक निर्देश प्राप्त किये जा सके।

04 माता-पिता को खो देने वाले बच्चों की सुरक्षा करना क्यों ज्यादा ज़रूरी हो जाता है तथा उनमें किस प्रकार के जोखिम की आशंका रहती है?

ऐसे बच्चों के साथ निम्न प्रकार के जोखिम होने की संभावना हो सकती हैं–

1. बाल–तस्करी एवं बालश्रम करवाना
2. बच्चे के साथ घरेलू हिंसा
3. बच्चे के साथ लैंगिक शोषण
4. बाल विवाह
5. बाल वैश्यावृति
6. बच्चे को मानसिक आघात
7. बच्चे के साथ शारीरिक एवं मानसिक शोषण
8. बच्चों के मूलभूत अधिकारों का हनन
9. बच्चों के साथ भेदभावपूर्ण तथा उपेक्षा का व्यवहार
10. बच्चों की सम्पति पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बहला–फुसला कर कब्जा करना या हथियाना

05 ऐसे बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताएं क्या हैं तथा हम किस प्रकार से बच्चों को भावनात्मक सहयोग उपलब्ध करा सकते हैं?

बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप माता–पिता के देहांत की सूचना संवेदनशीलता के साथ देनी चाहिए तथा बच्चों की बातों एवं भावनाओं को सहानुभूति के साथ सुनना चाहिए। उन्हें आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ मनोसामाजिक परामर्शदाता की सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए इस हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई या वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से मनोसामाजिक परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

बाल कल्याण समिति

06 बाल कल्याण समिति क्या है?

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के संबंध में निर्णय हेतु न्यायपीठ के रूप में बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। इस समिति को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं।

07 बाल कल्याण समिति द्वारा उक्त बच्चों के प्रकरण में क्या कार्यवाही की जाएगी?

समिति द्वारा ऐसे प्रकरणों में बच्चे को आश्रय, भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा तथा संरक्षण प्रदान किया जाएगा तथा आवश्यक जांच के उपरांत बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए पुनर्वास के संबंध में उचित निर्णय लिया जाएगा। यदि बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो समिति स्वयं ऐसे बच्चे तक पहुंचेगी।

08 क्या ऐसे सभी बच्चे, जिनके माता-पिता का कोरोना के कारण देहांत हो गया है, को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत/सूचित करना अनिवार्य है?

जिस मामले में बच्चे के माता–पिता का देहांत हो गया है और देखरेख करने वाला कोई न हो उसमें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत (भौतिक/ऑनलाइन) करना अनिवार्य है परंतु ऐसे मामले, जिनमें बच्चे के परिवार/विस्तारित परिवार/सगे–संबंधी/रिश्तेदार (चाचा–चाची, मामा–मामी, नाना–नानी इत्यादि) बच्चे के पालन–पोषण करने के लिए इच्छुक एवं सक्षम हैं, की सूचना बाल कल्याण समिति को दी जाएगी।

समिति द्वारा बच्चे की सुरक्षा के दृष्टिगत जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से बच्चे की सामाजिक अन्वेक्षण रिपोर्ट/गृह अध्ययन रिपोर्ट, आवश्यक जांच एवं अन्य प्रक्रिया अपनाते हुए पारिवारिक सदस्य/रिश्तेदार/नातेदार/सगे–संबंधी को किनशिप केयर में बच्चे का संरक्षण प्रदान किया जाएगा तथा निर्धारित अंतराल पर फॉलोअप किया जाएगा।

09 क्या ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता का देहांत हो गया है और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, को 24 घण्टे में बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना अपराध है?

जी हां, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 32 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे बच्चों की सूचना 24 घण्टे के अंदर चाइल्डलाइन या निकटतम पुलिस थाना या बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई को देना या बच्चे को किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत बाल देखरेख संस्थान में सौंपना अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 33 तथा 34 के अनुसार ऐसे बच्चे की सूचना संबंधित एजेंसी को नहीं देने वाले व्यक्ति को अधिकतम 6 माह के कारावास अथवा 10,000 रूपये का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

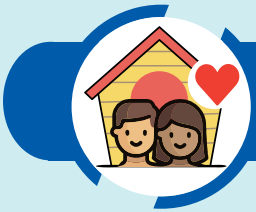

सरकारी प्रावधान एवं योजना

10 ऐसे बच्चों का पुनर्वास या उन्हें सुरक्षित रूप से किसी स्थान पर रखने के लिए क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं?

ऐसे बच्चों को आश्रय प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में बाल गृहों, शिशु गृहों, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी इत्यादि का संचालन किया जा रहा है। जहां आश्रय (शेल्टर) के साथ–साथ भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, संरक्षण, शिक्षा, मनोरंजन, कौशल विकास इत्यादि की सुविधा प्रदान की जाती है।

ऐसे बच्चों के पुनर्वास हेतु संस्थागत देखरेख के अतिरिक्त, गैर संस्थागत देखरेख (जैसे फोस्टर केयर, स्पॉन्सरशिप, किनशिप केयर, दत्तकग्रहण तथा आफटरकेयर) कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं।

11 यदि एक ही परिवार में दो-तीन ऐसे बच्चे हैं, जिनके माता-पिता का देहांत हो गया है अर्थात वह सगे भाई बहन हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या सभी बच्चों को एक साथ रखा जा सकता है?

बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण हेतु बच्चों को फोस्टर केयर, किनशिप केयर एवं संस्थागत देखरेख में जहां तक संभव हो, एक साथ रखने का प्रावधान है। यदि बच्चों की उम्र 10 वर्ष से कम है, तो भाई–बहनों को एक साथ शिशु गृह में रखने

का प्रावधान है। 10 वर्ष से ऊपर के बच्चों को बालक तथा बालिकाओं हेतु पृथक रूप से स्थापित गृहों में आश्रय दिए जाने की व्यवस्था है। बच्चों की भावनात्मक तथा व्यक्तिगत परिस्थितियों तथा उनके सर्वोत्तम हित के दृष्टिगत बाल कल्याण समिति द्वारा उक्त हेतु निर्णय लिया जाता है।

12 जन सामान्य को यह कैसे पता चलेगा कि जहां उसने बच्चे को सुपुर्द किया है वहां बच्चा सुरक्षित एवं खुश है या नहीं?

सुपुर्दकर्ता द्वारा बच्चे को जिस भी ईकाई को सुपुर्द किया जाता है उससे बच्चे की कुशलता प्राप्त की जा सकती है। जिसमें पुलिस, चाइल्डलाइन, जिला बाल संरक्षण ईकाई तथा बाल कल्याण समिति सहित सभी शामिल हैं।

13 माता-पिता को कोरोना के कारण खोने वाले बच्चों को सरकार द्वारा संचालित किन योजनाओं से जोड़ा जा सकता हैं?

ऐसे बच्चों को पी.एम. केयर फॉर चिल्ड्रेन, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप, फोस्टर केयर, किनशिप केयर, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सहित विभिन्न विभागों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोडा जा सकता है।

प्रभावित बच्चों के अधिकार और उनकी रक्षा

14 ऐसे बच्चों को अपने माता-पिता की ज़मीन जायदाद/ सम्पत्ति इत्यादि में क्या अधिकार होते हैं और कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, कि ऐसे बच्चों को उनके अधिकार मिले?

ऐसे सभी बच्चों को माता–पिता की पैत्रक/पारिवारिक सम्पत्ति में वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं, जो उनके माता–पिता को प्राप्त थे। कानूनी रूप से 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वयस्क होने पर ही सम्पत्ति के क्रय–विक्रय, लीज पर देने के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

बाल कल्याण समिति द्वारा इस संबंध में जिलाधिकारी एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सहयोग से ऐसे बच्चों को उनके माता–पिता की सम्पत्ति में अधिकार मिले यह सुनिश्चित किया जाएगा।

15 क्या सोशल मीडिया में बच्चों को गोद दिए जाने की पेशकश वाले संदेश सही हैं? अनाथ हुए बच्चों को गोद देने या लेने का सही तरीका क्या है?

सोशल मीडिया में बच्चों को गोद दिए जाने संबंधी संदेश गैर कानूनी व दण्डनीय अपराध हैं तथा यह बाल तस्करी, बालश्रम, बाल विवाह, बाल वैश्यावृति सहित बाल यौन शोषण की संभावनाओं को बढ़ाते हैं।

अनाथ बच्चों को गोद लेने हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की वेबसाइट www.cara.nic.in पर ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन कर किसी बच्चे को गोद लिया जा सकता है एवं हेल्पलाइन नम्बर–1800111311 पर कॉल करके विस्तारपूर्वक जानकारी ली जा सकती है।

यदि कोई परिवार/सगे–संबंधी/रिश्तेदार (चाचा–चाची, मामा–मामी, नाना–नानी इत्यादि) किसी ऐसे बच्चे को गोद लेना चाहे, तो भी किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन किया जा सकता है। अन्य किसी रूप में बच्चों को गोद लेना या उन्हें गोद देने की पेशकश करना गैर कानूनी है।

16 गोद लिए जाने के संबंध में क्या बच्चे की राय भी पूछी जाती है?

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते में दिए गए बच्चों की भागीदारी के सिद्धांत को सर्वोपरि रखते हुए, जो बच्चा अपनी राय देने में सक्षम होता है, तो उसे गोद दिए जाने के विषय में उनकी राय पूछी जाती है।

17 कोरोना प्रभावित बच्चों की देखरेख, संरक्षण, विकास एवं पुनर्वासन की प्रगति की निगरानी किस प्रकार की जाएगी?

वर्तमान में कोविड प्रभावित बच्चों को चिन्हित करने तथा उनके पुर्नवास को सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर पर वर्चुअल सपोर्ट ग्रुप तथा जनपद स्तर पर टास्क फोर्स गठित की गई है जो नियमित अंतराल पर बच्चों के प्रकरणों की समीक्षा करेगी।

साथ ही उक्त सभी बच्चों की **देखरेख, संरक्षण, विकास एवं पुनर्वासन की प्रगति की निगरानी किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत** दिए गए प्रावधानों के अनुसार बाल कल्याण समिति द्वारा सुनिश्चित की जाएगी तथा रिपोर्ट संबंधित जिलाधिकारी एवं राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी।